भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5196

दिनांक 24 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

अवसंरचना परियोजनाओं जैसे एसईजैड को प्रोत्साहन

5196. **डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदेः**
श्री चंद्र शेखर साहूः
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में स्वीकृत और कार्य कर रहे विशेष आर्थिक जोन (एसईजैड) की संख्या कितनी है

(ख) क्या सरकार एसईजैड की तर्ज पर अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं ;

(घ) क्या सरकार अवसंरचना परियोजनाओं को विभिन्न लाभ जैसे ब्याज राजसहायता, पूंजी निवेश के भाग की प्रतिपूर्ति, स्टाम्प ड्यूटी छूट और बिजली पर कर में छूट देने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) एसईजेड अधिनियम, 2005 का अधिनियमन होने से पूर्व, केंद्रीय सरकार के 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और राज्य/निजी क्षेत्र के 12 एसईजेड थे। इसके अतिरिक्त, देश में एसईजेड की स्थापना करने के लिए प्राप्त 416 प्रस्तावों को एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया। वर्तमान में, 351 एसईजेड अधिसूचित हैं जिनमें से 232 एसईजेड प्रचालनात्मक हैं।

(ख) से (च) आर्थिक कार्य विभाग उन अवसंरचना सेक्टरों (एसईजेड सहित) को संबंधित वित्त सीमा सहित आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है जो दिनांक 27 मार्च, 2012 को अधिसूचित सुमेलीकृत मुख्य सूची में सामाजिक एवं वाणिज्यिक अवसंरचना के रूप में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राजस्व विभाग आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 एडी के वर्तमान प्रावधानों के तहत किसी व्यवसाय का विकास या प्रचालन करने और रखरखाव करने या किसी निर्दिष्ट अवसंरचना सुविधा का विकास, प्रचालन और रखरखाव करने के लिए निवेश से जुड़ा प्रोत्साहन उपलब्ध कराता है। एसईजेड को अनुमत कर छूट और अन्य प्रोत्साहन एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 26 के तहत उपलब्ध कराए जाते हैं।

****